न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 42/17

1. हरभेजी पत्नी स्व0 भगवंत आयु 85 वर्ष । जाति काछी निवासी शाला का पुरा
2. श्रीपति पुत्र स्व0 भगवंत आयु 60 वर्ष । (सैमर का पुरा) धौलपुर

———— वादीगण

बनाम

1. जी.पी.टी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0 बाण गंगा रेलवे ब्रिज बरैठा जरिये प्रवन्धक ग्राम बरैठा तहसील व जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, धौलपुर राज0

———— प्रतिवीगण

दावा हस्व दफा 183, 188 आर.टी.

एक्ट

उपस्थितिः– 1. श्री श्रीकांत श्रीवास्तव ऐड0 वादीगण की ओर से
2. श्री माहिर हसन रिजवी ऐड0 प्रतिवादी सं0 1 की ओर से
3. श्री प्रेमनरायन पराशर ऐड0 उत्तर मध्य रेलवे की ओर से

दिनांक -- 01.06.18

निर्णय

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 रकवा 3 वीघा 4 विश्वा वाके ग्राम शाला का पुरा पटवार क्षेत्र बरैठा तहसील व जिला धौलपुर के वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा काविज होकर फसल लाभ ले रहे हैं। वादीगण ने इस वर्ष खरीफ की फसल में अपनी उपरोक्त आराजी में बाजरा तिली, मूंग तथा गैंदा के फूलों की फसल बोई थी जो उपज कर तैयार हो गई थी। प्रतिवादी ग्राम बरैठा में बाण गंगा रेलवे ब्रिज का निर्माण करने के लियेक बरैठा ग्राम में अपने सैकडों मजदूरों के साथ आया हुआ है जिसने रेलवे लाइन के सहारे अपना सामान रखना शुरू किया था। प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई सम्वंध सरोकार नहीं है परन्तु प्रतिवादी ने अचानक वादीगण की अनुपस्थिति में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वादीगण की उक्त आराजी के उत्तरी करीब ढाई बीघा जमीन में बादीगण की बोई हुई फसल को नष्ट करके नींव भर कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वादीगण को जब उक्त अवैद्य अतिक्रमण की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण से अतिक्रमण हटाने तथा फसल का मुआवजा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने अपने मजदूरों से जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। प्रतिवादीगण की हैसियत अतिक्रमी की है जिसको वादीगण की कृषि भूमि में फसल को नष्ट करने व अवैद्य

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के उक्त अवैद्य अतिक्रमण की शिकायत दिनांक 24.7.17 को तथा इससे पहले भी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर से की परन्तु प्रतिवादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रतिवादी निर्माण कार्य चालू रखे हुए हैं तथा चारो और बाउण्ड्री बनाने की धमकी दे रहा है। वादीगण रोकते हैं तो सारे दिन जबरन पकड कर अवैद्य रूप से पुलिस में तथा अन्य जगह घुमाते रहते हैंव रात को छोड देते हैं। उक्त परिस्थितियों में वादी को जरूरी हो गया है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत श्रीमान में दावा दायर कर प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करावे कि वे वादीगण की खातेदारी में कब्जे काश्त में कोई रूकावट नहीं डाले तथा वादीगण की आराजी को निर्माण कार्य करके वेस्ट डेमेज नहीं करे, जो अवैद्य अतिक्रमण प्रतिवादीगण ने किया है उसे हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा फसल की बर्बादी की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण ने दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 को हुक्म इम्तनाई दवामी से पावंद किया जा वे कि वह वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1070 रकवा 3 वीघा 4 विश्वा ग्राम शाला का पुरा में स्वयं या अपने ऐजेन्टों द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत या मदालखत बेजा नहीं करें। प्रतिवादी के कब्जे को हटवाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को क्षतिपूर्ति कराई जावे तथा फसल नष्ट हुयी है उसकी राशि दिलायी जावे।

दवा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। वादी एवं प्रतिवादी ने तहसीलदार धौलपुर से मौका की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार धौलपर को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 की वर्तमान मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। इसी दरम्यान दिनांक 19.4.18 को उत्तर मध्य रेलवे (भारत संघ) द्वारा वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता द्वितीय उत्तर मध्य रेलवे आगरा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं उत्तर मध्य रेलवे के अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई दिनांक 21.5.18 को पेश किया गया। शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 25.5.18 नियत कर वादी को सूचित करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 25.5.18 को उभयपक्ष उपस्थित आये। उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1070 रेलवे की सम्पत्ति है, रेलवे को पक्षकार जानबूझ कर नहीं बनाया गया है। बिना रेलवे को पक्षकार बनाये वाद पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी रेलवे को पक्षकार प्रकरण बनाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 जी.पी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभिभाषक का कथन है कि उनकी कम्पनी के द्वारा रेलवे ब्रिज का निर्माण करने हेतु जो सामान डाला गया था वह रेलवे की भूमि में डाला गया था। वर्तमान में पुल का कार्य बंद कर दिया गया है तथा मौके पर कोई

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

सामान नहीं है। भूमि खाली पडी हुयी है, इसकी जांच तहसीलदार धौलपुर के द्वारा की जा चुकी है। अतः दावा पोषणीय नहीं है। दावा खारिज किया जावे।

वादी के अभिभाषक का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा रेलवे पुल का कार्य करते समय उसकी खातेदारी की आराजी में खडी फसल को नष्ट कर उसमें निर्माण सामग्री डालकर तथा मशीनरी लगाकर नष्ट कर दी है। न्यायालय द्वारा स्थगन जारी करने तथा मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश देने पर प्रतिवादी के द्वारा निर्माण सामग्री हटा ली है लेकिन उसकी भूमि में निर्माण सामग्री डालने तथा मशीनरी लगाने एवं निर्माण करने से भूमि को बंजर कर दिया है। भूमि कृषि योग्य नहीं रहने दी है। अतः प्रार्थी को फसल का मुआवजा एवं भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे। वादी के अभिभाषक ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उसकी खातेदारी की आराजी पर अवैद्य रूप से अतिक्रमण कर निर्माण करने, निर्माण सामग्री डालने एवं फसल को नष्ट कर देने पर प्रतिवादी से मुआवजे के रूप में क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने एवं प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया गया है। रेलवे की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर विवादित आराजी को स्वयं की बता कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि उसके द्वारा वादी की भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। वर्तमान में काम बंद है और रेलवे की भूमि में जो निर्माण सामग्री डाली गयी थी वह भी उठा ली गयी है।

रेलवे की ओर से प्रकरण में पक्षकार बनाने का निवेदन इस आधार पर किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 में उसका स्वामित्व है। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी सम्वत् 2070–70 ग्राम शाला का पुरा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1070 वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए लाये हैं। प्रार्थी रेलवे स्वत्व घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं जो इस वाद में सम्भव नहीं है। यदि प्रार्थी रेलवे का कोई हित विवादित आराजी में है तो वे इसके लिये पृथक से वाद लाकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। पत्रावली में संलग्न छाया प्रति मौका पर्चा तारीखी 13.4.18 के अनुसार रेलवे के अधिकारियों एवं वादी के समक्ष पैमाइस की जाकर खसरा नम्बर 1070 व 1071 की सीमाओं का सीमांकर कराया गया है। छाया प्रति रिपोर्ट तहसीलदार तारीखी 20.4.18 के अनुसार खसरा नम्बर 1070, 1071, 1072 की पैमाइस दिनांक 13.4.18 को की गयी। वक्त पैमाइस खसरा नम्बर 1071 में पुल निर्माण का कार्य नहीं चल रहा था। वादीगण की खातेदारी की आराजी में प्रतिवादी का कोई अतिक्रमण नहीं पाये जाने तथा कोई निर्माण कार्य नहीं चलने के कारण वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रचारित करवाने के अधिकारी नहीं होते हैं।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं दावा वादी दौनों को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0 पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner